भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/पीएन/46/2015 **दिनांक : 10 जुलाई, 2015**

प्रेस नोट

विषय : आयोग ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) पर नए दिशा-निर्देशों को जारी किया।

लोक सभा निर्वाचन, 2014 के बाद निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने तथा उनमें आगे और सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से बने कई कार्य-दलों का गठन किया था। प्रथम कार्य-दल ने ईआरओ/एईआरओ से संबंधित विभिन्न मुद्दों सहित निर्वाचक नामावली के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। इसने अपनी सिफारिशें आयोग को प्रस्तुत कर दी हैं। आयोग ने सिफारिशों पर विचार किया है और आज मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निदेश दिए हैं:-

- ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आवेदन के मामले में ऐसे आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया केवल तभी की जाएगी जब आवेदक अपनी पहचान के समर्थन में संगत दस्तावेज और फोटो अपलोड करेंगे। इनके न रहने पर ईआरओ प्रारंभिक चरण में ही आवेदन अस्वीकृत कर सकते हैं, और आवेदक को तद्नुसार ऑनलाइन सूचित कर सकते हैं। ईआरओ सप्ताह का एक दिन ऑन-लाइन आवेदनों के सत्यापन के लिए नियत करेंगे।
- यदि आवेदक ने नाम के समावेशन/विलोपन या संशोधन के लिए अपना मोबाइल/ईमेल आईडी दिया है तो उसके आवेदन की पावती रसीद और उसके आवेदन के निपटान के प्रत्येक चरण का विवरण भी एसएमएस/ई-मेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाएगा।
- यदि फार्म 6 भर कर निर्वाचक नामावली में नाम का समावेशन करने के लिए आवेदन करने वाला आवेदक अपने पूर्ववर्ती रजिस्ट्रेशन/निवास का ब्योरा देने के लिए फार्म का भाग IV नहीं भरता है तो संबंधित ईआरओ द्वारा ऐसे फार्म 6 अस्वीकृत कर दिए जाने चाहिए।
- प्रत्येक ईआरओ/एईआरओ को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ एक कम्प्यूटर, एक प्रिंटर, एक टेलीफोन और जहां ऐसे इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं हों तो एक डाटा इंट्री ऑपरेटर दिया जाएगा ताकि निर्वाचक नामावली/एपिक संबंधी कार्य प्रभावित न हो।
- आयोग ने निदेश दिया है कि ईआरओ/एईआरओ को निर्वाचक नामावली की तैयारी/पुनरीक्षण से प्रक्रिया के संबंध में फील्ड में अपने दौरों के लिए संबंधित राज्य में लागू नियमों के अनुसार टीए/डीए मंजूर किए जा सकते हैं।

- एक मतदान केन्द्र के लिए एक बीएलओ होना चाहिए जो यथासंभव सीमा तक, एक स्थानीय निवासी होना चाहिए। जहां महिला रजिस्ट्रेशन अत्यन्त कम है वहां महिला बीएलओ नियुक्त की जानी चाहिए ताकि अपंजीकृत महिलाएं आगे आ सकें और उन्हें निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत करवाया जा सके।
- आयोग ने निदेश दिया है कि छावनी क्षेत्रों वाले मतदान केन्द्रों के बीएलओ को यथा-व्यवहार्य, उन बीएलओ से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जो संबंधित छावनी प्राधिकारियों के स्टाफ हों।
- आयोग ने आगे निदेश दिया है कि बीएलओ को उन्हें निर्दिष्ट मतदान केन्द्र में दो महीनों में कम से कम एक बार बैठना होगा ताकि क्षेत्र के निर्वाचक, निर्वाचक नामावली में अपने विवरण की जांच करने/सर्च करने के लिए संबंधित मतदान केन्द्र में सम्पर्क कर सकें और यदि जरूरी हो तो नए पंजीयन/मौजूदा प्रविष्टि के संशोधन/विलोपन के लिए आवश्यक दावे/आपत्तियां प्रस्तुत कर सकें।
- बीएलओ द्वारा किए गए कार्य का पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण करने के लिए बीएलओ पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने चाहिएं जिन्हें राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों में से लिया जाना चाहिए।
- बीएलओ के लिए प्रोत्साहनों और दंडात्मक कार्रवाईयों की एक सुपरिभाषित पद्धति स्थापित की जा रही है। बीएलओ को पारिश्रमिक/मानदेय की मौजूदा दर बढ़ाकर न्यूनतम 6000/- रु. मानदेय प्रति वर्ष कर दिया गया है जिसका तात्पर्य 1000/- रु. की बढ़ोतरी हुई। बीएलओ पर्यवेक्षक के लिए वार्षिक मानदेय 12000/- रु. है। इसके अलावा, आयोग ने बीएलओ द्वारा सार पुनरीक्षण की अवधि के दौरान किए गए हाउस विजिट्स के लिए 1000/- रु. प्रति वर्ष की न्यूनतम धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है। साथ ही, यह प्रस्ताव भी अनुमोदित किया है कि यदि बीएलओ प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अपने मतदान केन्द्र क्षेत्रों से बाहर यात्रा करें तो उन्हें टीए/डीए भी आवश्यक रूप से स्वीकृत किया जाना चाहिए।

धीरेन्द्र ओझा
निदेशक